न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 38 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोंडेंटगण
राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा		1. ओमप्रकाश पुत्र कानाराम 2. घनश्याम पुत्र मांगीलाल 3. नवसारी पत्नी बींजाराम 4. भीखराज उर्फ भीखसिंह पुत्र मांगीलाल 5. वरजू पत्नी मांगीलाल 6. विकस कुमार पुत्र मांगीलाल 7. हरिराम पुत्र कानाराम, सभी जातियान खारोल(खारवाल) साकिन पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 288 / 2022 बअनवान ओमप्रकाश व अन्य बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा में पारित आदेश दिनांक 30.01.2023 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–24.02.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ता 07 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि मौजा मंडापुरा में उतरदाता संख्या 01 से 07 प्रार्थीगण की खातेदारी का एक खेत खसरा संख्या 246 रकबा 1.3658 हैक्टयेर में आया हुआ है। उक्त प्रार्थना–पत्र में उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि उनके खेत की जोत में आने जाने हेतु रास्ता अपीलकर्ता की राजकीय सिवायचक भूमि खसरा संख्या 1126 / 208 रकबा 7.3349 हैक्टयेर मौजा मंडापुरा में आया हुआ है। प्रार्थीगण के खेत में सरकारी रास्ते तक जाने का एक मात्र रास्ता खेत खसरा संख्या 1126 / 208 में से ही है इसलिए उक्त खेत में से 30 फीट चौड़ा नया मार्ग स्वीकृत करावें। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित राजकीय अभिभाषक की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नहीं दिये जाने से अपीलार्थी अपना पक्ष रखने से वंचित रह गया, जबकि प्राकृतिक न्याय की यह मंशा रही है, कि प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए, जबकि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी/विप्रार्थी को नहीं सुनकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का घोर उल्लंघन किया है, उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं से ही स्पष्ट हैं, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमानी तरंग पर बिना गुणावगुणों पर सुने ही प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित कर दिया, जबकि उक्त प्रकरण में अंतिम बहस नहीं सुनी गई, फिर भी उक्त प्रकरण में अपीलार्थी/विप्रार्थी को बिना सूचना, सुनवाई सबूत का अवसर दिये, अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी/उतरदाता ने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर बाले–बाले मुझ अपीलांट भूमिधारक को बिना जानकारी के ही अपीलांट के खाते में दर्ज बेशकीमती भूमि को हड़प करने का जो उपक्रम किया गया है, उसी का एक जीता जागता उदाहरण वर्तमान में की गई कार्यवाही है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त अपास्त किये जाने योग्य है। प्रथम तो प्रार्थीगण/उतरदाता अपनी भूमि का कृषि कार्य के लिये उपयोग ही नहीं कर रहा है। वर्तमान में उक्त एरिया में रिफाइनरी स्थापित होने से निज़ि व्यक्तियों द्वारा अपने खातेदारी भूमियों का कृषि कार्य से भिन्न उपयोग कर कार्यवाही से बचने के लिये राजकीय भूमि में से अधिकतम रास्ते की मांग की जाकर रास्ता लिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। उक्त प्रकरण में पूर्ण रूप से राज्य सरकार से अनुतोष चाहा गया है तथा राज्य सरकार के विरूद्ध कोई प्रकरण विधिक रूप से तब तक ग्राहय नहीं होता जब तक की राज्य के सचिव के स्तर पर 60 दिन की अवधि का लीगल नोटिस धारा 80 सी पी सी का प्रार्थी द्वारा नहीं दिया जाता है। यदिआवश्यक प्रकृति में भी प्रकरण पेश करना होता है तो भी धारा 80(2) सी पी सी का प्रार्थना–पत्र पेश कर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक व

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आज्ञापक है, के अभाव में कोई भी प्रकरण ग्रहण नहीं किया जा सकता है, एवं राज्य सरकार के विरूद्ध मामला जिला कलक्टर को पक्षकार बनाये विना पेश नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के इन प्रावधानों को जानबूझकर अनदेखा कर पदीय हैसियत का भी दुरूपयोग किया है, व प्रार्थीगण को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिये अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भी कृत्य किया व इतना ही नहीं सिविल प्रक्रिया संहिता एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियमों के प्रावधानों व न्यायिक भावना को भी समझने का प्रयास नहीं किया है। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्व में अपीलांटस को नहीं थी। अपीलांट तहसीलदार के पद पर पदस्थ है। मुझ वर्तमान अपीलांटस के प्रतिनिधि तहसीलदार राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व रेकर्ड अपडेट कार्य व विशेष गिरदावरी के कार्यों को सम्पन्न करने में अतिव्यस्तता के कारण एवं समयाभाव में उक्त विधि की दृष्टि में शून्य निर्णय व आदेश की अपील नहीं की जा सकी, सजगता से तुरन्त सम्यक तत्परता से उक्त अपील पेश की जा रही हैं, विधि यह निर्धारित करती हैं कि विधि की नजर में शून्य आदेश पर म्याद की देरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हैं, फिर भी तकनिकी रूप से सद्भाविक विलम्ब को माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार करने के आदेश पारित करे। प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई तथा ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया।. हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस के नाम से जारी सम्मन पर अपीलांटस की व्यक्तिगत रूप से तामिल नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जबकि अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना लाजमी था। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका एवं पत्रावली पर ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसके जरिये मौका रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय आदेशिका दिनांक 18.11.2022 में अंकित है कि सरकारी पैरोकार उपस्थित नहीं। तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं इन्तजार हो। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 13.01.2023 में अंकित है कि सरकारी पैरोकार उपस्थित तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट पेश हुई जबकि वास्तव में मौका रिपोर्ट श्री वीरेन्द्रसिंह, निरीक्षक (भू.अ.) पचपदरा द्वारा दिनांक 09.01.2023 को तहसीलदार पचपदरा की जानकारी में लाये बिना ही सीधे ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा में पेश की। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली की आदेशिका में मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु तहसीलदार पचपदरा व निरीक्षक भू.अ. पचपदरा दोनों में से किसी को भी नहीं लिखा गया। जबकि श्री वीरेन्द्रसिंह, निरीक्षक (भू.अ.) पचपदरा द्वारा दिनांक 09.01.2023 को राजकीय सिवायचक भूमि खसरा संख्या 1126/208 को दो टुकड़ों में विभाजित करते हुए मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार पचपदरा की जानकारी में लाये बिना ही पेश की गई जो विधि विरूद्ध कृत्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत किसी प्रकार की तहरीर जारी नहीं की गई उसके बावजूद श्री वीरेन्द्रसिंह, निरीक्षक (भू.अ.) पचपदरा द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि को दो भागों में विभाजित करते हुए राज्य हित को ताक पर रखते हुए मौका रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करना लोक सेवक द्वारा पद का दुरूपयोग किया जाना प्रतीत होता है। प्रार्थीगण/उतरदाता द्वारा हस्तगत आवेदन अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत दिनांक 31.08.2022 को पेश किया गया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवेदन पेश करने के दूसरे दिन दिनांक 01.09.2022 को अगल–अगल बेचान करते हुए अपीलाधीन आराजी का बेचान किया गया। उक्त बेचान दिनांक 01.09.2022 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नामांतकरण संख्या 3068 श्री महेन्द्र प्रजापत, पटवारी पचपदरा द्वारा दायर किया गया। नामांतकरण संख्या 3068 की जांच श्री वीरेन्द्रसिंह, निरीक्षक (भू.अ.) पचपदरा द्वारा की गई। उसके पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के स्थान पर क्रेताओं के नाम

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खातेदारी में इन्द्राज किये गये। अपीलाधीन आराजी का प्रार्थीगण/उतरदाता द्वारा किये गये बेचान तथा वर्तमान में प्रार्थीगण अपीलाधीन आराजी के खातेदार नहीं होने के बावजूद तत्कालीन पटवारी हल्का , पचपदरा श्री महेन्द्र प्रजापत एवं श्री वीरेन्द्रसिंह, निरीक्षक (भू.अ.) पचपदरा द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाते हुए मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की। मौका रिपार्ट दिनांक 09.01.2023 को प्रेषित करने वाले श्री वीरेन्द्रसिंह, निरीक्षक (भू.अ.) पचपदरा व श्री महेन्द्र प्रजापत, पटवारी पचपदरा को हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में न्यायालय आदेश के विना किसी भी प्रकार की कार्यवाही अपनी तरफ से तैयार कर राज्य हित को नुकसान करते हुए न्यायालय में पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद पैदा करने हेतु पेश नहीं करे अन्यथा आपके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु लिखा जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने के पश्चात नामांतकरण संख्या 3291 दिनांक 28.06.2023 के जरिये मूल खसरा संख्या 246 के बट्टा नंबर का संपरिवर्तन का नामांतकरण दायर किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रार्थीगण/उतरदाता द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए आवेदन पेश कर रास्ते की कार्यवाही पूर्ण कर संपरिवर्तन की पत्रावली को आगे बढाया गया। उक्त तथ्यों को अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में उठाया गया जिसमें कथन किये गये कि वर्तमान में उक्त एरिया में रिफाइनरी स्थापित होने से निजि व्यक्तियों द्वारा अपने खातेदारी भूमियों का कृषि कार्य से भिन्न उपयोग यानि अकृषि कार्य बिना भूमि उपयोग संपरिर्वतन के प्लोटिंग के रूप में उपयोग कर रहे हैं। उक्त तथ्य पर अपीलांटस के शपथ-पत्र के आलोक में विश्वास किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए सुविधाजनक रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसके तहत राजकीय सिवायचक दर्ज भूमि का नुकसान नहीं किया जा सकता। उक्त प्रकरण में राज्य सरकार से अनुतोष चाहा गया है तथा राज्य सरकार के विरूद्ध कोई प्रकरण विधिक रूप से तब तक ग्राह्य नहीं होता जब तक की राज्य के सचिव के स्तर पर 60 दिन की अवधि का नोटिस धारा 80 सी पी सी का प्रार्थी द्वारा नहीं दिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के इन प्रवधानों की पालना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध नहीं किया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 288/2022 बअनवान ओमप्रकाश व अन्य बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा में पारित आदेश दिनांक 30.01.2023 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वह राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाधीन आदेश से पूर्व की स्थिति बहाल करे तथा मौके पर किसी भी प्रकार से सड़क निर्माण का कार्य किया गया है तो हटाकर पालना रिपोर्ट पेश करे।

24/2/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 24.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/2/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर